

**कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा (छ.ग.)**

क्रमांक/डी.एम.एफ./2026/ 375

कोरबा, दिनांक .27.04.2026

//जिला खनिज न्यास मद से नियुक्ति हेतु विज्ञापन //

कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा, जिला कोरबा छ.ग. के प्रशासकीय स्वीकृति आदेश की प्रत्याशा में क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के सुचारु संचालन हेतु के रेडियोग्राफर के पदों की पूर्ति हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के जिला खनिज न्यास निधि मद के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-

क्र	पदनाम	रिक्तियाँ कुल	वर्ग															
			अजजा				अजा				अपिव				अनारक्षित			
			मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	रेडियोग्राफर	6	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0

शैक्षणिक अर्हता एवं योग्यता:-

रेडियोग्राफर :- (1) 10+2 पध्दति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

(2) क्ष-किरण तकनीशियन/रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए।

(3) छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल से रेडियोग्राफर/क्ष-किरण तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना चाहिये।

नियम एवं शर्तें :-

- उपरोक्त विज्ञापित में दर्शित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है। इस संबंध में अभ्यर्थियों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। आवश्यकतानुसार चयन प्रक्रिया में संशोधन/निरस्तीकरण किया जा सकेगा।
- प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जांच की जावेगी तथा पात्र-अपात्र की सूची जारी होने के पश्चात् दस्तावेज प्रथम दावा-आपत्ति के अंतिम तिथि तक स्वीकार किये जायेंगे।
- उक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी ही उद्भूत रिक्तियों हेतु पात्र होंगे।
- छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- अजा/अजजा/अपिव के आवेदकों को जाति की पुष्टि में प्राधिकृत अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सामान्य मेरिट सूची में से भर्ती की कार्यवाही की जावेगी।

9 134

07. दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3, नवा रायपुर, दिनांक 18.01.2024 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (छ.ग. शासन) द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश लागू होंगे।
08. संविदा नियुक्त सामान्यतः 01 वर्ष या संविदा/सीधी भर्ती द्वारा पद की पूर्ति तक अथवा स्थानांतरण द्वारा पद की पूर्ति होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए होगी। इसमें किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया जावेगा। यह नियोजन स्वतः समाप्त मानी जावेगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति के उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
09. उपरोक्त संविदा में मासिक एकमुश्त मानदेय देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा।
10. संविदा नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना किसी सूचना दिये कभी भी समाप्त की जा सकती है।
11. संविदा नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्त शासकीय सेवक के रूप में जितनी भी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ कर्मचारी की पात्रता नहीं होगी।
12. आयु संबंधी छूट के लिए तद्संबंधी प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल (दसवीं) की अंकसूची की स्व-प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल में कलेक्टर दर/संविदा/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ नियुक्त/अन्य आकस्मिक निधि में कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव का अंक प्रदान किया जावेगा। बशर्ते आवेदक द्वारा जिस पद पर आवेदन किया है उसी पद का कार्यानुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रति पूर्ण वर्ष हेतु अनुभव के 03 अंक प्रदान किये जाएंगे। अनुभव के अधिकतम 15 अंक निर्धारित हैं। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। निजी संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवश्यकता पड़ने पर अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन जारीकर्ता अधिकारी से करवाया जावेगा।
15. छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल के आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07.12.2021 एवं संशोधन आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.02.2023 में उल्लेखित प्रावधानानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जावेगा। नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

16. रिक्त पदों पर चयन हेतु मेरिट सूची निम्नानुसार तैयार किया जावेगा :-

क्र	पदनाम	मानदेय (प्रतिमाह एकमुश्त)	प्रावीण्य सूची हेतु अंको की गणना	
1	रेडियोग्राफर	14000.00	क्ष-किरण तकनीशियन/रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम	85 प्रतिशत
			रेडियोग्राफर के पद में कार्य करने का अनुभव अंक (03 अंक प्रति पूर्ण वर्ष अनुसार अधिकतम 15 अंक)	15 अंक
			कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस	10 अंक

टीप:- कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को 10 बोनस अंक दिया जाना है। सामान्य स्थिति में संविदा कर्मचारियों को अनुभव का 15 अंक दिया जाना है। किसी कर्मचारी के पास उस पद पर कार्य करने का अनुभव एवं कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान एक वर्ष में 06 माह तक कार्य अनुभव, दोनों होने पर अनुभव का अंक एवं बोनस का अंक मिलाकर अधिकतम 15 अंक ही दिया जावेगा।

- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
- आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों यथा शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची/जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र/तकनीकी दक्षता/आयु संबंधी फ्लूट हेतु दस्तावेज एवं विज्ञापन में चाहे गये अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- विज्ञापित पदों हेतु वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जावेगा।
- अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा, इस संबंध में आवेदक को किसी प्रकार से सूचना नहीं दी जावेगी, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- आवेदक द्वारा विज्ञापित पदों में से एक से अधिक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें, आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित **पद का नाम (Name of Post)** जिनके लिए आवेदन किया जा रहा है एवं संवर्ग **(Category)** स्पष्ट रूप से उल्लेख करें, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जावेगा। लिफाफे के उपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखा जावे।
- विज्ञापित पदों पर योग्यतानुसार आवेदन उपलब्ध नहीं होने की दशा में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- प्रतीक्षा सूची जारी करने के दिनांक से 1½ वर्ष के लिए वैध होगी। भविष्य में उक्त पदों के आलावा अतिरिक्त पदों की आवश्यकता होने पर प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा।
- चयनित अभ्यर्थियों को उपस्थिति के समय जिला चिकित्सा बोर्ड से शारीरिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- चयन उपरान्त यदि कोई जानकारी असत्य/कूटरचित पाई जाती है, तो संविदा नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

26. चयन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की विवाद पर अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार विभाग/चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
27. आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रजगामार रोड़ कोरबा, जिला कोरबा, पि.न. 495677 में निर्धारित अंतिम तिथि 12.05.2026 शायं 5:00 बजे तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करेंगे। अंतिम तिथि उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
28. उक्त विज्ञापित पदों हेतु भविष्य में जारी आवश्यक दिशा-निर्देश/सूचना का प्रकाशन जिले के वेबसाईट www.korba.gov.in में किया जावेगा। अतः अभ्यर्थी समाचार पत्रों, जिले के वेबसाईट www.korba.gov.in एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा के नोटिस बोर्ड का सतत अवलोकन करते रहेंगे। कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जाएगी।

151-
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा छ.ग.

कोरबा, दिनांक .27.04.2026

पृ.क्रमांक/डी.एम.एफ./2026/ 4653

प्रतिलिपि :-

01. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग., स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
02. कलेक्टर, जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
03. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें बिलासपुर, संभाग बिलासपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
04. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र कोरबा की ओर विज्ञापन जिले के शासकीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

151-
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा छ.ग.

// आवेदन-प्रपत्र //

आवेदित पद का नाम -

नवीनतम रंगीन
फोटो

आवेदक का हस्ताक्षर

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) -
- (अंग्रेजी में) -
2. पुरुष/महिला -
3. पिता/पति का नाम -
4. माता का नाम -
5. जन्म तिथि (अंको में) -
- शब्दों में -
6. दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में आयु - वर्ष.....माह.....दिन.....
7. छोगो का मूल निवास हाँ/नहीं -
8. जिला का नाम -
9. वर्तमान पता -
-
-
-
10. स्थाई पता -
-
-
-
11. मोबाईल नम्बर -
12. ई.मेल आई.डी. -
13. वर्ग (अना./अपिव/अजा/अजजा) -
14. दिव्यांग (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत -
15. क्या आप भूतपूर्व सैनिक है (हाँ/नहीं)-
16. विवाहित/अविवाहित -। यदि विवाहित है तो जीवित बच्चों की संख्या -
17. शैक्षणिक योग्यता-

क्रमांक	परीक्षा का नाम	विषय	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

18. तकनीकी योग्यता-

क्रमांक	परीक्षा का नाम	विषय	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

19. निर्धारित कौंसिल का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक

20. कार्यानुभव (यदि हो तो उल्लेख करें)

क्रमांक	कार्यालय का नाम	पदनाम	कार्यावधि	रिमार्क

21. संलग्न दस्तावेज की सूची:-

- 1..... 2..... 3.....
- 4..... 5..... 6.....
- 7..... 8..... 9.....
- 10..... 11..... 12.....

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषण पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दिये गये सभी विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई जानकारी या सूचना गलत, असत्य, अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद हेतु मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है एवं मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान.....

नाम.....

दिनांक.....

पता.....

कार्यालय का नाम एवं पता

क्रमांक.....

दिनांक.....

कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 01 वर्ष में 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस अंक दिये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.....
पिता/ पति का नाम..... इस संस्था.....
(संस्था का नाम) के (वायरोलाजी लैब/कोविड अस्पताल/ अन्य
स्थल/विभाग का नाम) में कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान के पद
पर (पद का नाम) दिनांक..... से दिनांक..... तक अस्थायी
स्वास्थ्यकर्मियों के रूप में कार्यरत है/थे। उक्त कर्मचारी द्वारा इस कार्यालय/संस्था में एक
वर्ष में छः माह (कुल..... वर्ष.....माह.....दिन) तक सेवा दिया गया
है/था।

छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी
भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 1-67/
2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, दिनांक 07.12.2021 एवं पत्र क्रमांक एफ
1-67/2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03 फरवरी 2023 के परिपालन में
श्री/श्रीमती/कुमारी को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा के विज्ञापन क्रमांक..... दिनांक..... में
विज्ञापित संविदा पद (पद का नाम) में चयन हेतु 10 बोनस अंक
की पात्रता हेतु यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

नियुक्तकता अधिकारी के हस्ताक्षर (पदमुद्रा सहित)

कार्यालय का नाम

क्रमांक.....

दिनांक.....

सेवा अनुभव प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री....., पिता/पति ,पदस्थापना स्थल (शासकीय/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल मे)में(पदनाम) के पद पर कुल सेवा अवधि वर्ष..... माह..... दिन.....तक कार्यरत है/थे। इनका सेवा अनुभव का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदस्थापना स्थल	विकास खण्ड	जिला का नाम	सेवा अवधि का विवरण					नियुक्ति का प्रकार (संविदा/एन.एच.एम. /तदर्थ/डी.एम.एफ. एवं अन्य)	नियुक्ति का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	रिमार्क
				से दिनांक	तक दिनांक	हि	मा	दि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

उपरोक्त दी गई जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

नियोक्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
पदमुद्रा सहित